(16)

मार्ग दर्शिका

बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

4 थी मंजिल, सोन भवन, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना– 800 001
दूरभाष–2226099, 2234579, फैक्स– 0612–2226099

बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा इस राज्य के सभी जातियों/वर्गों के विकलांग व्यक्तियों के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वरोजगार एवं आर्थिक विकास की योजनाओं का कार्यान्वयन

लक्ष्य एवं उद्देश्य–

बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को राज्य सरकार द्वारा राज्य के निःशक्त जनों को (विकलांग व्यक्तियों को) सम्मानपूर्वक जिन्दगी जीने के लिये शिक्षा व स्वरोजगार के क्षेत्र में आत्मानिर्भर बनाने के लिए विभिन्न ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतू नोडल एजेन्सी बनाया गया है। **इन ऋण योजनाओं का कार्यान्वयन समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना के दिशा–निर्देशन में संचालन किया जा रहा।**

(1) मुख्यमंत्री निःशक्त जन शिक्षा ऋण योजना–

राज्य के वैसे विकलांग विद्यार्थी जो भारत सरकार, राज्य सरकार, यू.जी.सी. (U.G.C.), ए.आई.सी.टी.ई. (A.I.C.T.E.), आई.सी.एम.आर. (I.C.M.R.) द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचलित डिग्री, डिप्लोमा या अन्य पाठ्यक्रमों या समकक्ष मान्यताप्राप्त अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्स की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं को यह ऋण दिया जायेगा। स्वीकृत ऋण राशि का भुगतान निगम द्वारा संबंधित शिक्षण संस्थान के माध्यम से किया जायेगा।

ऋण का उपयोग–

शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं ट्यूशन शुल्क, पुस्तकों, स्टेशनरी एवं पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य आवश्यक वस्तुए, परीक्षा शुल्क, छात्रावास आदि शामिल होगा।

देय राशि

मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना के तहत अधिकतम ऋण सीमा 5 लाख रूपया होगी जिसका वार्षिक साधाराण ब्याज दर 4 प्रतिशत होगा। इस योजना के तहत 4.00 (चार लाख) रूपया तक के ऋण हेतु प्रतिभूति तथा गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी। 4.00 (चार लाख) रूपाये से ऊपर 5.00 (पाँच लाख) रूपाये तक के लिए प्रतिभूति एवं गारंटर की आवश्यकता होगी। यह शिक्षा ऋण पढ़ाई पूरी होने के पश्चात तक एक वर्ष की अवधि अथवा रोजगार मिलने की तिथि से छः माह जो भी पहले हो, उसी समय से ऋण की वापसी की जायेगी। ऋण की वापसी भुगतान बराबर–बराबर मासिक किश्तों में पाँच वर्षों की अवधि में देय होगी। इसमें लाभार्थी चाहे तो निर्धारित अवधि के पूर्व भी अपनी सुविधानुसार ऋण वापसी कर सकते हैं।

पात्रता–

1) बिहार के निवासी हों (प्रमाण–पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत)।

2) वैसे विकलांग व्यक्ति जो कम से कम 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता से ग्रसित हो (असैनिक शल्य चिकित्सक की अध्यक्षता में गठित बोर्ड द्वारा अभिप्रमाणित फोटो सहित विकलांगता प्रमाण–पत्र)।

3) यह ऋण उन्हीं विकलांग विद्यार्थियों को दिया जायेगा जो किसी राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान का डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष कोर्स की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं।

4) आयु 18 से 30 वर्ष के बीच हो।

शिक्षा ऋण वितरण की प्रक्रिया–

मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण के लिये लाभार्थियों को सीधे निगम मुख्यालय में प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य

पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना के नाम से आवेदन करना होगा। साथ में निगम द्वारा दिये गये अनुदेशों के अनुसार उन्हें अपने शिक्षण संस्थान से प्राप्त प्रमाण–पत्र भी शिक्षा ऋण आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। लाभार्थी का चयन निगम द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक मापदंडों/जाँच प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् किया जायेगा। इस मामले में निगम द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

शिक्षा ऋण के मामले में विद्यार्थी को तभी ऋण राशि स्वीकृत की जायेगी जब उनका दाखिला/नामांकन उक्त कोर्स में हो जाये अथवा इसके लिये उन्हें चयनित कर लिया गया हो। आवेदक जिस शिक्षण संस्थान से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं उन्हें उक्त संस्थान से निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वास्तविक प्रमाण–पत्र आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

शिक्षा ऋण के मामले में ऋण स्वीकृति होने के पूर्व लाभार्थी को निगम मुख्यालय में आकर निर्धारित ऋण अनुबंध की प्रक्रिया पूरी करनी होगी तथा ऋण अनुबंध से संबंधित सभी व्यय भार लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा।

लाभार्थियों के चयन में विभाग द्वारा निर्देशित आरक्षण संबंधी निर्देशों का पालन किया जायेगा।

लाभार्थियों के चयन में वी.पी.एल. परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(2) मुख्यमंत्री निःशक्त जन स्वरोजगार ऋण योजना–

राज्य के निःशक्त जनों के कल्याण के लिए एक अति महत्वकांक्षी स्वरोजगार ऋण योजना शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत निम्नांकित उद्यम/व्यवसाय हेतु ऋण लिया जा सकता है। (क) लघु उद्यम/लघु व्यवसाय में स्व–नियोजन (ख) विकलांग उद्यमियों को सहायता (उत्पादन एवं उत्पाद क्षेत्र में) (ग) कृषि कार्य के क्षेत्र में (घ) विकलांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक साधन के निर्माण के लिए (ड.) कारीगरी एवं उद्यमी विकास कार्य के लिए यह ऋण लिया जा सकता है। **इस ऋण के वितरण में तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त निःशक्त जनों को प्राथमिकता दिया जायेगा, ताकि वे सफलता पूर्वक अपने व्यावसाय का संचालन कर सकें।**

देय राशि–

इस ऋण योजना में प्रति लाभार्थी का अधिकतम ऋण सीमा 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रूपाये) तक होगी। स्वरोजगार ऋण वापसी के लिए ऋण स्वीकृति के एक वर्ष उपरान्त अथवा रोजगार प्रारंभ करने की तिथि से छ. माह की अवधि, जो पहले हो, उस तिथि से ऋण की वापसी प्रारंभ की जायेगी। इस ऋण की वापसी लाभार्थी को 5 वर्ष में बराबर मासिक किश्तों में सूद सहित करनी होगी। इसका वार्षिक सूद दर पाँच प्रतिशत होगी। लाभार्थी यदि चाहे तो निर्धारित अवधि के पूर्व भी ऋण की वापसी अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं।

पात्रता–

1) बिहार के निवासी हों (प्रमाण–पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत)।
2) वैसे विकलांग व्यक्ति जो कम–से–कम 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता से ग्रसित हो (असैनिक शल्य चिकित्सक की अध्यक्षता में गठित बोर्ड द्वारा अभिप्रमाणित फोटो सहित विकलांगता प्रमाण–पत्र)।
3) आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
4) लाभार्थी सामान्यतः उसी जिले का निवासी हो, जहाँ से उन्हें ऋण लिया जाना है।
5) लाभार्थी को योजना विशेष के कार्यान्वयन के लिए ज्ञान हो जो योजना वह लेना चाहते हैं।
6) लाभार्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान का डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र होने पर ऋण पाने में प्राथमिकता दी जायेगी।

लाभार्थियों का प्रशिक्षण–

योजनाओं के सफल संचालन हेतु चयनित लाभार्थियों को निगम की ओर से आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है।

लाभार्थियों को योजनाओं के चयन, योजनाओं के तैयार करने में भी निगम मुख्यालय सहायता कर सकती है।

लाभार्थियों का चयन–

मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण योजना हेतु लाभार्थियों का चयन, योजना के कार्यान्वयन, ऋण वसूली, अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जिला में गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जायेगी। जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(1) सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग	–	अध्यक्ष
(2) असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (प्रतिनिधि)	–	सदस्य
(3) जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र का नोडल पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव
(4) भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, जिला शाखा के नोडल पदाधिकारी	–	सदस्य
(5) ख्यातिप्राप्त स्वयंसेवी संस्था के संचालक (एक) (जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत)	–	सदस्य
(6) राष्ट्रीयकृत बैंक के एक प्रतिनिधि	–	सदस्य
(7) अनुसूचित जाति के एक प्रतिनिधि (जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत)	–	सदस्य
(8) बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के एक पदाधिकारी	–	सदस्य

- क्र इस ऋण योजनान्तर्गत अभिलेख संधारण की कार्रवाई पूरी करने की जवाबदेही संबंधित जिले के सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा की होगी।
- क्र सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् आवेदन–पत्रों को सूची के साथ निगम मुख्यालय को भेज देंगे।
- क्र लाभार्थियों के चयन में विभाग द्वारा निर्देशित आरक्षण संबंधी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- क्र लाभार्थियों के चयन में बी.पी.एल. परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- क्र स्वरोजगार ऋण स्वीकृति मामले में किसी व्यावसाय में अनुभव प्राप्त आवेदक जिनके पास कोई प्रमाण–पत्र हों उन्हें चयन में विशेष रूप से प्राथमिकता दी जायेगी।

ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया–

- क्र जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन एवं पिछड़ा वर्ग निगम द्वारा स्वीकृति के बाद स्वीकृति पत्र (विहित प्रपत्र में) तीन प्रतियों में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा लाभार्थियों को निर्गत किया जायेगा।
- क्र तीनों स्वीकृति पत्र पर लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षर एवं सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जायेगा, जिसकी एक प्रति लाभार्थी, दूसरी प्रति सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं तीसरी प्रति राज्य पिछड़ा वर्ग निगम को भेजा जाएगा।
- क्र ऋण संबंधी एकरारनामा के समय लाभार्थी को किसी गारंटर (सरकार या अर्द्ध–सरकारी सेवा) से हस्ताक्षरित गारंटी पत्र समर्पित करना होगा। अगर लाभार्थी द्वारा कोई गारंटर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो लाभार्थी को अपना सम्पत्ति बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के पक्ष में बांधक रखना होगा। ऐसी सम्पत्ति सभी प्रकार ऋण भार से मुक्त होना चाहिए एवं प्राप्त ऋण की राशि से उस सम्पत्ति का मूल्य कम नहीं होना चाहिए। अथवा,
- क्र गारंटी के रूपमें कोलैटरल (Co-lateral) सिक्यूरिटी यथा एन.एस.सी. / फिक्स्ड डिपोजिट / बीमा पॉलिसी इत्यादि को निगम के नाम बंधेज करना होगा।
- क्र स्वीकृत ऋण का भुगतान रेखांकित चेक (Account Payee) / डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा लाभार्थी को किया जायेगा। लाभार्थी को किसी राष्ट्रीय बैंक में बचत खाता खोलना होगा।
- क्र लाभार्थी को स्वीकृत ऋण योजना का बीमा निगम के दिशा–निर्देश के अनुरूप कराना होगा।

क्र लाभार्थी को उस समय तक संचलित योजना एवं उसके चल एवं अचल सम्पत्ति बेचने या उपहार में देने की छूट नहीं होगा जब तक कि सूद सहित ऋण की पूरी राशि नहीं लौटा दी गयी हो।

क्र इसके अतिरिक्त ऋण स्वीकृति के पश्चात् ऋण योजना से संबंधित चल/अचल सम्पत्ति को निगम कार्यालय से प्राप्त विहित प्रपत्र में लाभार्थी को गिरवी रखना पड़ेगा।

निगम की ओर से निगम के प्रबन्ध निदेशक ऋण स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित लाभार्थियों को एक मुश्त चेक बैंक ड्राफ्ट द्वारा जिला सहायक निदेशक समाजिक सुरक्षा के नाम से विमुक्त कर देंगे।

संबंधित जिला सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा निगम के नाम से जिला स्तर पर एक खाता खोलेंगे। तदोपरांत स्वीकृत सूची के अनुसार लाभार्थीवार अलग–अलग रेखांकित चेक द्वारा ऋण राशि का भुगतान लाभार्थी के खाता के द्वारा किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में बिना खाता खोले किसी भी लाभार्थी को भुगतान नहीं किया जायेगा।

मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा योजना एवं मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण की अदायगी–

क्र शिक्षा ऋण वापसी के लिए अध्ययन समाप्त होने के बाद एक वर्ष की अवधि अथवा रोजगार मिलने की तिथि से छः माह जो भी पहले हो, उसी समय से ऋण की वापसी की जानी है। ऋण की वापसी भुगतान बराबर–बराबर मासिक किश्तों में पाँच वर्षों की अवधि में देय होगी। ऋण अदायगी शुरू होने के पहले की अवधि के लिए अभिभावक/पिता को ऋण के ऊपर देय ब्याज का भुगतान करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

क्र स्वरोजगार ऋण के लिए ऋण स्वीकृति के एक वर्ष के उपरान्त अथवा रोजगार प्रारंभ करने की तिथि से छः माह की अवधि, जो पहले हो, उस तिथि से ऋण की वापसी प्रारंभ की जायेगी। ऋण की वापसी भुगतान बराबर–बराबर मासिक किश्तों में पाँच वर्षों की अवधि में देय होगी।

क्र समय पर किस्त की राशि की वसूली नहीं होने अर्थात ऋणी द्वारा ऋण लेने के क्रम में दिये गये चेक का भुगतान बैंक से नहीं होने (चेक बाउन्स हो जाने पर) प्राथमिकी (F.I.R.) दर्ज कराकर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

क्र विवाद का निस्तारण : प्रमादी (डिफालटर) ऋणियों के विरूद्ध एन.आई.एक्ट की धारा 138 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में मामला दायर किया जायेगा।

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का होना आवश्यक है:–

क्र असैनिक शल्य चिकित्सक की अध्यक्षता में गठित बोर्ड द्वारा अभिप्रमाणित फोटो सहित विकलांगता प्रमाण–पत्र।

क्र उम्र प्रमाण–पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत)।

क्र लाभार्थियों को निश्चित रूप से आवेदन–पत्र के साथ आवास से संबंधित कोई प्रमाण–पत्र यथा पासपोर्ट, भूमि से संबंधित दस्तावेज या अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवास प्रमाण–पत्र या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक सूची प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

क्र शिक्षा ऋण आवेदन–पत्र के साथ विद्यार्थी को शिक्षण संस्थान से प्राप्त दाखिला प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही शिक्षण शुल्क, जीवन यापन खर्च एवं शिक्षण से संबंधित अन्य खर्च विवरणी का प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना होगा।

क्र सरकारी गारंटर का सहमति पत्र तथा उनके विभाग से प्राप्त वेतन प्रमाण–पत्र या जमीन बंधक रखने की स्थिति में भूमि मूल्यांकन प्रमाण–पत्र एवं ऋण–भार मुक्त प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अथवा,

क्र कोलैटरल गारंटी के रूप में यथा एन.एस.सी./फिक्स्ड डिपोजिट/बीमा

पॉलिसी इत्यादि का छायाप्रति आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

लाभार्थी के सामान्य अनुदेश

क्र अधूरे या अपूर्ण आवेदन–पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्र लाभार्थी के चयन में पिछड़ा वर्ग निगम द्वारा लिये गये निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा

क्र स्वरोजगार ऋण योजना तथा शिक्षा ऋण योजना का आवेदन–पत्र सह–मार्गदर्शिका बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध होगा।

क्र लाभार्थी को किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था या लाभपूर्ण रूप से नियोजित नहीं होना चाहिए।

क्र लाभार्थी किसी बैंक या सरकारी खजाने का बकायेदार नहीं हो।

क्र ऋण संबंधी इकरारनामा के समय लाभार्थी को किसी गारंटर (सरकारी या अर्द्ध–सरकारी सेवा) से हस्ताक्षरित गारंटी पत्र समर्पित करना होगा। अगर लाभार्थी द्वारा कोई गारंटर उपलब्ध नहीं कराया जाता है लाभार्थी को अपना सम्पत्ति बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के पक्ष में बंधक रखना होगा। ऐसी सम्पत्ति सभी प्रकार ऋण भार से मुक्त होना चाहिए एवं प्राप्त ऋण से उस सम्पत्ति का मूल्य कम नहीं होना चाहिए। शिक्षा ऋण के मामले में दो लाख रूपाये से अधिक वेतन पाने वाले आयकर भुगतान करने वाले व्यक्ति ही गारंटर होंगे।

आवेदक को स्वरोजगार ऋण योजना के लाभ हेतु आवेदन–पत्र निगम के विहित प्रपत्र में सीधे संबंधित जिला के **सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग,** समाहरणालय के कार्यालय में देना होगा तथा शिक्षा ऋण के मामले में सीधे प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, चौथी मंजिल, सोन भवन, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना–800 001 नाम से देना होगा।

प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की अध्यक्षता में शिक्षा ऋण के लाभार्थियों के चयन हेतु एक स्क्रीनिंग समिति गठित होगी, जिसमें सदस्य के रूप में निगम के वित्त परामर्शी, परियोजना पदाधिकारी, उप–सचिव, समाज कल्याण विभाग, उप–निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय सदस्य के रूपमें शामिल रहेंगे।

मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना

फार्म सं0

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
चौथी मंजिल, सोन भवन, बी.सी.पी. मार्ग
पटना– 800 001

विषय : मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना के तहत ऋण लेने के संबंध में।

महाशय,

मैं इस निगम से मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना हेतु ऋण लेना चाहता / चाहती हूँ जिसका वंछित विवरण निम्न प्रकार हैं :–

फोटो

1. नाम .....
2. उम्र : (प्रमाण–पत्र के साथ).....
   पिता / पति का नाम .....
4. वर्तमान पता – (दूरभाषा सहित) .....
   .....
5. स्थाई पता – .....
   .....

   (अंचलाधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत अधिवासी प्रमाण–पत्र संख्या .....
   ..... दिनांक .....)
6. जाति / उपजाति – .....
7. विकलांगता प्रमाण–पत्र– (असैनिकशल्य चिकित्सक के अध्यक्षता में गठित बोर्ड द्वारा अभिप्रमाणित फोटो सहित विकलांगता प्रमाण–पत्र)
8. शैक्षणिक योग्यता– (प्रमाण–पत्र के साथ)
9. पढ़ाई पूरी करने वाले पाठ्यक्रम (कोर्स) की विवरणी :–
   (क) पाठ्यक्रम का नाम :–
   (ख) शिक्षण संस्थान का नाम :–
   (ग) महाविद्यालय का नाम :–
   (घ) मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्था का नाम :–
   (कृ) पाठ्य क्रम शुरू होने की तिथि :–
   (च) पाठ्य क्रम पूरा होने की तिथि :–
10. पिता / अभिभावक की पूर्ण विवरणी :–
    (क) पूरा नाम :–
    (ख) स्थायी पता :–
    (ग) पेशा – ..... (घ) उम्र ..... (ड.) वार्षिक आय .....
11. परिवार के अन्य सदस्यों का नाम :–

12. परिवार के कोई सदस्य ने इस निगम से कोई ऋण लिया हो, तो विवरण दे :–
13. कितने राशि हेतु ऋण के लिये आवेदन किया जा रहा है (पूर्ण विवरणी के साथ) :–

14. गारंटर की पूर्ण विवरणी :– (गारंटर के सहमति पत्र के साथ)
(क) गारंटर का नाम :–
(ख) गारंटर के पिता का नाम :–
(ग) गारंटर जिस विभाग में सेवागत हैं उस विभाग का नाम एवं पता :–
(घ) मासिक आय (प्रमाण–पत्र के साथ)

15. अन्य कोई गारंटी या कोलेटरल गारंटी (पूर्ण विवरण के साथ) :–

16. यदि निजी जमीन पर ऋण लेना है तो जमीन का ब्योरा : (कागजात संलग्न करें) :–

तारिख :–

आवेदक का हस्ताक्षर

वर्ष	ट्यूशन फी, दाखिला की तथा अन्य फी		पाठ्य पुस्तक / उपकरण		जीवन–यापन शुल्क एवं छात्रावास शुल्क		कुल खर्च
	राशि की	किस तिथि को आवश्यकता है	राशि की	किस तिथि को आवश्यकता है	राशि की	किस तिथि को आवश्यकता है	

घोषणा

मैं ..... पुत्र / पुत्री / पत्नी .....ग्राम / मो० – ..... डाकघर ..... प्रखंड.....थाना .... जिला ..... का निवासी हूँ तथा परमात्मा / खुदा को साक्षी मानकर प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त आवेदन के क्रमांक–1 से 16 तक दिया गया सभी विवरणी मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार बिल्कुल सही है तथा इनमें मैंने किसी तथ्य को नहीं छुपाया है। निगम द्वारा जाँच के क्रम में यदि मेरे द्वारा दिये गये कोई गलत तथ्य या सूचना पाया जाता है तो इस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निगम स्वतंत्र होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

शिक्षण संस्थान प्रधान से प्राप्त प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमति ..... पिता / पति ..... पता .... ने इस संस्थान के ..... कोर्स में नामांकन पा चुका है। इनका शैक्षणिक सत्र ..... तथा निबंधन / नामांकन संख्या– .... है।

तारिख .....

संस्थान प्रधान का हस्ताक्षर तथा
सील मोहर के साथ

(गारंटर का सहमति पत्र)

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
चौथी मंजिल, सोन भवन, बी.सी.पी. मार्ग
पटना– 800 001

विषय : ऋण आवेदक श्री ..... के गारंटर बनने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक सूचित करना है कि मैं ..... पिता .... स्थायी पता–ग्राम/मो० – ..... पो० ..... थाना– ..... के अधीन .....पद पर .... वेतनमान पर ..... (तिथि) से कार्यरत हूँ। मैं स्वेच्छा से श्री .... पिता .....पता– .... जो आपके निगम से ..... योजना में ऋण लेना चाहता है का गारंटर बनने के लिये तैयार हूँ। इसके लिए मैं अपने विभाग/ कार्यालय की ओर जारी वेतन प्रमाण–पत्र या इससे संबंधित अन्य कागजात इस आवेदन–पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ। मेरा वास्तविक जन्म तिथि .... है तथा कार्यालय / विभाग में योगदान तिथि ..... है।

मेरे द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि जब श्री ..... का ऋण राशि स्वीकृति हेतु ऋण एकरारनामा व गारंटी आदि बना ली जायेगी तो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए स्वयं आपके कार्यालय में उपस्थित रहूँगा।

विश्वास भाजन

अनुलग्नक :–
स्थान व तारिख –

(गारंटर बनने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर)